



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल/तिथिवद्ध
सेवा में,

सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्वार्ज/वर्ग अनुदेशक इन्वार्ज(महिला),
राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
(महिला) (हरियाणा राज्य में)।


यादी क्रमांक T-4/ PMS/ Disabled students 2016-17/
दिनांक:

Sub:- Extension of last date for submission of online applications under Pre-Matric, Post Matric and Top
Class based Scholarship Scheme for belonging to disabled students for the year 2016-17 till
30.11.2016 regarding.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आपको उक्त विभाग से प्राप्त हिदायतों की प्रति भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वर्ष
2016-17 के दाखिले अनुसार दिव्यांग छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का
लाभ दिलवाने के लिए भेजी जा रही हिदायतों के अनुसार उक्त छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र
उक्त विभाग द्वारा दर्शाई गई वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर ऑनलाईन अपलोड करवाना
सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई समस्या हो तो उक्त विभाग द्वारा जारी दूरभाष नं०-0172-2703522 पर
सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं।

संलग्न:- उपरोक्त।



सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ०क० T-4/ PMS/ Disabled students 2016-17/2871

दिनांक: 28/11/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, वण्डीगढ़। उनके पत्र क्रमांक
35347-53/अ0स0क0 /एस0जे0ई0/2016 दिनांक 4.11.2016 के संदर्भ में।
2. जिला स्तर के सभी प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, भिवानी,
फरीदाबाद, भोडियाखेडा (फतेहाबाद), गुरुग्राम, हिसार, झज्जर एट गुढा, जीन्द, कैथल, करनाल,
कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, फिरोजपुर झिरका (नूह), पलवल, पंचकुला, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा,
सोनीपत तथा यमुनानगर। निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2016-17 में हुए दाखिले के अनुसार उक्त
सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों से संपर्क करके दिव्यांग छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप
स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का लाभ दिलवाने के लिए अधिक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र
ऑनलाईन अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. उप-निदेशक(प्रशिक्षण-4)। प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अपने स्तर पर कार्यवाही पूर्ण
करवाना सुनिश्चित करें।
4. नोडल अधिकारी वेबसाइट, (मुख्यालय पर)। विभाग वेबसाइट पर डालने हेतु।
संलग्न:-हिदायतें।


सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

1558 - CEMS
4/11/16

855 - JDT
7/11/2016

अति-आवश्यक
विधिवत्
प्रयत्न

(ई-मेल)

47991-AK
9/11/16

for n/a Al.

DIT (OL)

निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

24/11/16

सेवा में

1. महानिदेशक, उत्तर शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सेक्टर 5, पंचकुला
2. महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, सेक्टर 4, पंचकुला
3. निदेशक, सीकर/कड़ी शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सेक्टर 5, पंचकुला
4. महानिदेशक, आईटीआई विभाग, 30 वें जे नोस्ट्रडम, सेक्टर 17, चण्डीगढ़
5. महानिदेशक, विजित्ता शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा पर्यटन नगर, सेक्टर 2, पंचकुला
6. महानिदेशक, मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सेक्टर-5, पंचकुला
7. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

JDT

DP (A/C)

7-11-16

35347-53
व.क्र. / अ.स.सं. / ए.स.सं. / 2016
चण्डीगढ़, दिनांक 04/11/16

विषय:-

Extension of last date for submission of online applications under Pre-Matric, Post Matric and Top Class based Scholarship Scheme for belonging to disabled students for the year 2016-17 till 30.11.2016- reg.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, जनशिक्षण एवं कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 9-4/2016/एसएसओ दिनांक 31-10-2016 (प्रति राज्यों) के तहत जारी

आपकी अनुरोध सहित लिखा जाता है कि भारत सरकार, विद्यालय सहायताकरण कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विद्यालय छात्र/छात्राओं के लिये चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाएँ कक्षा प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा टीपी कक्षा छात्रवृत्ति के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30.11.2016 कर दी गई है। अतः आपसे पूरा अनुरोध है कि आप अपने विद्यालय से सम्बन्धित स्कूलों/कालेजों/शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी करें कि 30.11.2016 से पूर्व छात्रों से छात्रवृत्ति के आवेदन करावें। छात्रवृत्ति स्कीमों की जानकारी/गाइडलाइन के लिये स्कीमों के पापफ्लैट, पोस्टर तथा स्कीम पहले ही भिजवाई हुई है।

संयुक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

35354-74

पूरा कर्मक / अ.स.सं. / ए.स.सं. / 2016 चण्डीगढ़ दिनांक 04/11/16
इसकी एक-एक प्रति सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भेजा है। अपने जिले में विद्यालय छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाने के लिये अधिक से अधिक प्रचार कराया पूरा आवेदन करावें।

संयुक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

35375-95

पूरा कर्मक / अ.स.सं. / ए.स.सं. / 2016 चण्डीगढ़ दिनांक 04/11/16
इसकी एक-एक प्रति सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भेजा है। निर्देश दिये जाते हैं कि जिला स्तर पर स्कूलों/कालेजों/शिक्षण संस्थाओं में निर्दिष्ट तौर पर कार्यालय के कार्यालयों को भेजकर स्कीमों की जानकारी देते हुए दिनांक 30.11.2016 तक छात्रों से ऑनलाइन आवेदन करावें। यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यालय छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रह पायें। छात्रों द्वारा जो बैंक खाता दिया जा रहा है वह आपसे पूरा हुआ होना चाहिए ताकि छात्रवृत्ति की राशि खाते में सही भिजवाई जा सके।

संयुक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

Training Br. 21
25/11/16

R. Taday
25/11/16

Director
28/11/16



Immediate

No.9-4/2016-SS
Government of India
Ministry of Minority Affairs

11th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi- 110003,
Dated: 31.10.2016.

To
Chief Secretary/Administrator
All State Government/UT Administration

Subject: Extension of last date for submission of online applications under Pre-matric, Post-matric and Merit-cum-Means based Scholarship Scheme for students belonging to the minority communities for the year 2016-17 till 30.11.2016- reg.

Madam / Sir,

In continuation of this Ministry's letter of even number dated 30.09.2016 on the subject mentioned above, it is hereby informed that the last date for receipt of online applications from minority students for **Pre-matric, Post-matric and Merit-cum-Means based Scholarship Scheme** through National Scholarship Portal (NSP 2.0) has been further extended **upto 30th November, 2016**. All State Governments/UT Administrations may, however, please note that **no further request for extending the timelines shall be entertained.**

2. You are requested to give wide publicity to this effect using suitable publicity media and also to expedite the submission of application on NSP 2.0 in a time bound manner.

Yours faithfully,

(Aditya S. Singh)

Under Secretary to the Government of India
Tel.: 011-24364311

Contd...2